

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अपर निदेशक, /उप निदेशक(मु.)  
स्वास्थ्य सेवायें-सह-नियंत्रि पदाधिकारी,  
कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, बिहार, पटना।  
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी।  
(सूची संलग्न)

पटना, दिनांक : 12-12-17

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- एलोपैथी-200- अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0002-कुष्ठ निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड- 20-2210012000002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते तथा अन्य मदों में कुल-₹7,18,49,940/- ( सात करोड़ अट्ठारह लाख उनचास हजार नौ सौ चालीस रु.) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-22(7)ब दिनांक-15.05.17, 28(7)ब दिनांक-23.06.17, 45(7)ब दिनांक-17.08.17, 59(7)ब दिनांक-11.09.17, 74(7)ब दिनांक-25.09.17, 82(7)ब दिनांक-04.10.17 एवं 86(7)ब दिनांक-13.10.17 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते तथा अन्य मदों में मांग पत्र के आलोक में कुल-₹7,18,49,940/- ( सात करोड़ अट्ठारह लाख उनचास हजार नौ सौ चालीस रु.) मात्र का आवंटन दी जाती है।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0002-कुष्ठ निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड-20-2210012000002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से तथा पुनर्विनियोग (स्वीकृत्यादेश संख्या-126(7) दिनांक-9.11.17) से प्राप्त राशि से की जायेगी।

4. राशि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें-सह नियंत्रि पदाधिकारी, कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, बिहार, पटना /संबंधित जिला के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी तथा नियंत्रि पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारियों / कर्मचारियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र पर भी अंकित करेंगे।

6. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक- 96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.3.2001, 241(9) दिनांक- 21.5.2002, 379(9) दिनांक- 16.8.2002 एवं 73(9) दिनांक- 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा।

7. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने तथा उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

8. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।



1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

9. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
11. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

( सच्चिदानंद चौधरी )  
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 112(7) 9

पटना, दिनांक : 12-12-17

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/सम्बंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सम्बंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित उपकोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक/सम्बंधित सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई0टी0 मैनेजर, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव

विवरण-1

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में बिहार स्थित कुछ निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड 20-2210012000002 के उपशीर्ष का अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	परिवहन भत्ता (01-05)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन (11-01)	यात्रा व्यय (13-03)	दूरभाष (14-01)	क्रियाया महसूल एवं कर (21-03)	आहार/ पथ्य (28-02)	सविदा सेवारें (21-03)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवारें, सह नियंत्री पदाधिकारी, कुछ उन्मूलन कार्यक्रम, बिहार, पटना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356000	356000	324/23.8.17
2	अपर मु०चि०पदा०, पटना	4000000	5200000	880000	2000	40000	4000	10126000	0	0	0	0	0	10126000	345/26.9.17
3	अपर मु०चि०पदा०, भोजपुर	1000000	1300000	220000	0	10000	1000	2531000	0	2500	0	0	0	2533500	91/30.11.17
4	अपर मु०चि०पदा०, मुंगेर	4000000	5200000	880000	0	40000	4000	10124000	0	0	0	0	0	10124000	82/7.11.17, 268/6.11.17, 137/6.11.17
5	अपर मु०चि०पदा०, गया	2000000	2600000	440000	0	20000	2000	5062000	0	0	500000	0	0	5562000	195/20.10.17
6	अपर मु०चि०पदा०, मधुबनी	4400000	5632000	968000	0	8800	4400	11013200	0	0	0	0	0	11013200	237/8.11.17
7	अपर मु०चि०पदा०, दरभंगा	2000000	2600000	400000	0	20000	2000	5022000	0	0	50000	0	0	5072000	473/4.10.17
8	अपर मु०चि०पदा०, हाजीपुर	1500000	1950000	330000	0	15000	1500	3796500	0	0	0	0	0	3796500	154/2.11.17
9	अपर मु०चि०पदा०, सारण	2000000	2500000	460000	0	20000	2000	5000000	0	0	0	0	0	5000000	146/16.9.17
10	अपर मु०चि०पदा०, औरंगाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433328	433328	173/15.7.17
11	अपर मु०चि०पदा०, जहानाबाद	2000000	2600000	440000	0	20000	2000	5062000	0	0	0	0	0	5062000	310/20.10.17
12	अपर मु०चि०पदा०, मुजफ्फरपुर	1000000	1180000	220000	0	10000	2200	2412200	0	0	0	0	0	2412200	194/18.10.17
13	अपर मु०चि०पदा०, बाँका	8000000	10400000	1760000	0	80000	8000	20248000	0	0	0	0	0	20248000	227/7.11.17
14	अपर मु०चि०पदा०, जमुई	6000000	7800000	1320000	0	60000	6000	15186000	0	0	0	0	0	15186000	397/11.11.17
15	अपर मु०चि०पदा०, सुपौल	2000000	2560000	440000	0	20000	2000	5022000	0	0	0	0	0	5022000	234/13.11.17
16	अपर मु०चि०पदा०, मोतिहारी	8000000	10400000	1760000	0	80000	8000	20248000	0	0	0	0	0	20248000	309/6.11.17
17	अपर मु०चि०पदा०, नालन्दा	6000000	7800000	1320000	0	60000	6000	15186000	1000	0	0	0	0	15196000	319/24.11.17
18	अपर मु०चि०पदा०, भागलपुर	2000000	2600000	440000	0	20000	2000	5062000	0	0	0	0	0	5062000	319/16.11.17
19	अपर मु०चि०पदा०, सीतामढी	1500000	1950000	330000	0	15000	1500	3796500	0	0	75492	0	0	3871992	517/9.10.17
20	अपर मु०चि०पदा०, बेतिया	2000000	2600000	440000	0	20000	2000	5062000	0	0	0	0	0	5062000	161/24.11.17
	कुल	27900000	36156000	6100000	2000	243800	29820	70431620	1000	2500	125492	500000	789328	71849940	

(सात करोड़ अठ्ठारह लाख उनचास हजार नौ सौ चालीस) रु. मात्र

112(7)A  
12-12-17

सरकार के विशेष सचिव  
बिनायक  
12/12/17

**उपबंध की स्थिति**

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
		3	4	5	6	7
1	वेतन (0002-01-01)	192380000	149870000	27900000	177770000	14610000
2	जीवन यापन भत्ता (0002-01-03)	252020000	198990100	36156000	235146100	16873900
3	मकान किराया भत्ता (0002-01-04)	49439000	37110900	6100000	43210900	6228100
4	परिवहन भत्ता (0002-01-05)	56000	54000	2000	56000	0
5	चिकित्सा भत्ता (0002-01-06)	2800000	2205200	243800	2449000	351000
6	अन्य भत्ता (0002-01-07)	3305000	2601600	29820	2631420	673580
	<b>योग 20-2210.01.200.0002.01 वेतन</b>	<b>500000000</b>	<b>390831800</b>	<b>70431620</b>	<b>461263420</b>	<b>38736580</b>
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002-06-01)	200000	0	0	0	200000
8	यात्रा व्यय (0002-11-01)	200000	199000	1000	200000	0
9	कार्यालय व्यय (0002-13-01)	500000	500000	0	500000	0
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0002-13-02)	200000	160000	0	160000	40000
11	दूरभाष (0002-13-03)	200000	160000	2500	162500	37500
12	विद्युत प्रभार (0002-13-04)	380000	378000	0	378000	2000
13	विधि प्रभार (0002-13-05)	200000	200000	0	200000	0
14	वर्दी / पोषाक (0002-13-06)	50000	50000	0	50000	0
15	किराया महसूल एवं कर (0002-14-01)	300000	0	125492	125492	174508
16	प्रशिक्षण व्यय (0002-20-03)	2010000	37500	0	37500	1972500
17	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0002-21-01)	100000	98000	0	98000	2000
18	दवा भंडार (0002-21-02)	500000	240000	0	240000	260000
19	आहार / पथ्य (0002-21-03)	1500000	1000000	500000	1500000	0
20	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0002-27-02)	1000	0	0	0	1000
21	संविदा सेवारत (0002-28-02)	791000	0	789328	789328	1672
	<b>कुल योग:-</b>	<b>507132000</b>	<b>393854300</b>	<b>71849940</b>	<b>465704240</b>	<b>41427760</b>

112(7)9

12-12-17

सरकार के विशेष सचिव

बिहार